

भारत सरकार,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
टेलि: 022-28294799 / 28294700

फैक्स: 022-28291754, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

सार्वजनिक सूचना संख्या 27 /2016

विषय:- एमपीसीबी द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बिना टिप्पणी के साथ जारी सहमति से सीपज़ - सेज़ में स्थित ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संबंध में ।

सीपज़ - सेज़ में स्थित सभी यूनिट धारियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर आकर्षिक किया जाता है । एसजीजेएमए से यह मुद्दा प्राप्त होने के पश्चात, इसे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विचारार्थ भेजा गया । एमपीसीबी ने इसका उत्तर दिनांक 28.10.2016 के स्पष्टीकरण संख्या एमपीसीबी/एमएस/2016/बी-4249 के रूप में भेजा है । इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मुद्दे पर उक्त स्पष्टीकरण अनुपालन के लिए सभी यूनिटों को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है ।

“मुंबई मेट्रोपोलिटन रीज़न पॉलिसी 1998 के अंतर्गत पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी एमएमआर तक ही सीमित था, किंतु अब उक्त पॉलिसी को महाराष्ट्र सरकार ने जीओएम जी.आर. द्वारा अपने दिनांक 20.6.2015 के एमएमआर पॉलिसी द्वारा वापस ले लिया है ।”

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एमपीसीबी अब अपने उन सहमतियों के संबंध संशोधन पर विचार करेगा जिनके मामले में बोर्ड के स्वीकृत मानकों को पूरा करने के लिए प्रोसेस से वायु उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अलग से मेटल रिकवरी सिस्टम तथा स्क्रबर मैकेनिज्म के साथ पूर्ण रूप से निस्सरण की व्यवस्था हो ।

अतएव, उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिटों के लिए समर्थत दस्तावजों के साथ ऑनलाइन सहमति आवेदन भेजना आवश्यक है ।

यह विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

विजय

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीपज़ - सेज़

प्रतिलिपि

1. श्री जेम्स गुन्ड ज्वेलरी यूनिट्स
2. सीपज़ वेबसाइट